पत्रांक–03/SBM –01–07/2019– 04– /न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 6/04/19

विषयः– ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के प्रभावी अनुपालन हेतु विकेन्द्रीकृत प्रसंस्करण के लिए राज्य के 98 नगर निकायों में सरकारी भूमि की अनुपलब्धता की स्थिति में 10 वर्षीय लीज पर रैयती भूमि प्राप्त करने एवं इस पर संभावित कुल व्यय 2940.00 लाख (उनतीस करोड़ चालीस लाख रू0 मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए अधिकतम 50% अर्थात 1470.00 लाख (चौदह करोड़ सत्तर लाख रू0 मात्र) राज्य योजना के नागरिक सुविधा मद से वित्तीय वर्ष 2019–20 में सहायक अनुदान के रूप में व्यय की स्वीकृति।

आदेश :–स्वीकृत ।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का अनुश्रवण माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा राज्यों एवं नगर निकायों के स्तर पर नियम का कार्यान्वयन नहीं होने को अत्यंत गंभीरता से लिया गया है और राज्यों में सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधीश की अध्यक्षता में ठोस अपशिष्ट नियम यथा Plastic Waste Management Rules, Bio Medical Waste Management Rules एवं संबंधित अन्य बिन्दुओं के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु समिति गठित किया गया है तथा इसके अतिरिक्त राज्य के मुख्य सचिवों को भी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रगति की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है। मुख्य सचिव, बिहार राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में दिनांक–15.03.2019 के समक्ष उपस्थित हुए, जिसके क्रम में उन्हें SWM Rule, 2016 के सभी प्रावधानों का अनुपालन करने का निदेश दिया गया।

2. SWM Rule, 2016 के अंतर्गत बिहार राज्य में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की नीति एवं रणनीति गठित की गयी है, जिसे विभागीय पत्रांक 398 दिनांक 09.02.2019 द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों एवं नगर निकायों को भेजा गया है, जिसमें केन्द्रीकृत एवं विकेन्द्रीकृत प्रसंस्करण दोनों का विकल्प दिया गया है। राज्य के कई नगर निकायों में विकेन्द्रीकृत कचरा प्रसंस्करण एवं Landfill site दोनों के लिए समुचित भूमि उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के अनुपालन में कठिनाई हो रही है।

3. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के प्रभावी अनुपालन हेतु प्रसंस्करण एवं निबटान दोनों के लिए भूमि उपलब्धता के लिए सभी जिला पदाधिकारियों को मुख्य सचिव द्वारा विभागीय पत्रांक 610 दिनांक 26.02.2019 द्वारा दिशा–निर्देश भेजा गया है। उक्त दिशा–निर्देश के अनुसार नगर निकायों को सर्वप्रथम अपनी भूमि को प्राथमिकता के आधार पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपलब्ध कराना है और भूमि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में जिला पदाधिकारी से भी सम्पर्क कर सरकारी भूमि का निःशुल्क आवंटन करना होगा।

4. विभिन्न नगर निकायों एवं जिलों से सम्पर्क करने पर यह जानकारी प्राप्त हुई है कि 98 नगर निकायों में अपनी भूमि भी उपलब्ध नहीं है और सरकारी भूमि भी आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं हो पा रही है। वैसी स्थिति

में नगर निकाय द्वारा सर्वप्रथम कचरा प्रसंस्करण हेतु लीज पर जमीन लेने का निर्णय लिया गया है। "सामान्यतः ठोस कचरा प्रसंस्करण के लिए औसतन 2.5 से 3.0 कट्ठा भू–खंड स्थल की आवश्यकता होगी, जिससे औसतन नगर निगम क्षेत्र के 3–4 वार्ड, नगर परिषद के 6–7 वार्ड एवं नगर पंचायत के 10–11 वार्ड आच्छादित हो सकते हैं। इस कार्य के लिए रैयती भूमि को 10 वर्षीय लीज पर प्राप्त करने की अनुमति नगर निकायों को प्रदान की जाती है।"

5. अनुमानित किया जाता है कि विकेन्द्रीकृत प्रसंस्करण हेतु एक नगर निगम में 10 स्थल, एक नगर परिषद में 5 स्थल तथा नगर पंचायत में 2 स्थल की आवश्यकता होगी। प्रत्येक 3000 वर्गफीट के एक स्थल के लिए नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत में मासिक लीज का किराया क्रमशः 15000/–रूपये, 9000/–रूपये एवं 5000/–रूपये देय होगा।

6. नगर निकायों द्वारा लीज पर लिये गये भूमि के किराये के रूप में कुल अनुमानित व्यय 29.40 करोड़ (उनतीस करोड़ चालीस लाख) रूपये होने की संभावना है। राज्य सरकार द्वारा उक्त राशि का अधिकतम 50 प्रतिशत अर्थात् 14.70 करोड़ (चौदह करोड़ सत्तर लाख) एकमुश्त नगर निकायों को दिया जाएगा। यह राशि राज्य योजनांतर्गत नागरिक सुविधा मद से दी जाएगी। नगर निकायों द्वारा अपने 50 प्रतिशत अंश का वहन 10 वर्षों में किया जाएगा अर्थात् नगर निकायों द्वारा प्रत्येक वर्ष 5 प्रतिशत राशि का वहन किया जाएगा। इस प्रकार नगर निकायों पर एकसाथ अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ेगा और लीज पर भूमि भी उपलब्ध हो जाएगी।

7. नगर निकायों द्वारा लीज पर भूमि लिये जाने के लिए नियमानुसार EOI (अभिरूचि की अभिव्यक्ति) प्रकाशित किया जाएगा, जिसमें भूमि से संबंधित शर्तें निम्नलिखित होंगी :–

   (i) भूमि जल–जमाव से ग्रसित नहीं होनी चाहिए।
   (ii) भूमि के ऊपर से High Tension विद्युत तार नहीं गुजरना चाहिए।
   (iii) भूमि पर पहुँच पथ कम से कम 16 ft. का होना चाहिए।
   (iv) भूमि सभी प्रकार से विवाद रहित होना चाहिए।
   (v) भूमि का स्वामित्व स्पष्ट होना चाहिए।

   भूमि के उपरोक्त प्रकार एवं अन्य शर्तों के साथ विस्तृत EOI प्रकाशित किया जायगा।

8. राज्य सरकार द्वारा रैयती भूमि को 10 वर्षीय लीज पर भूमि लिये जाने हेतु कुल राशि का 50 प्रतिशत अर्थात् प्रत्येक नगर निगम को एक स्थल के लिए अधिकतम 9,00,000/–रूपये (नौ लाख रूपये) (कुल 10 स्थल के लिए नब्बे लाख रूपये), प्रत्येक नगर परिषद को एक स्थल के लिए अधिकतम 5,40,000/–रूपये (पाँच लाख चालीस हजार रूपये) (कुल 5 स्थल के लिए सत्ताईस लाख रूपये) तथा प्रत्येक नगर पंचायत को एक स्थल के लिए अधिकतम 3,00,000/–रूपये (कुल 2 स्थल के लिए छः लाख रूपये) एकमुश्त दिये जाएंगे। नगर निकायों द्वारा दी जाने वाली अवशेष राशि दस समान किस्तों में दी जायेगी। लीज के किराये में वृद्धि होने पर राज्य सरकार के उक्त निर्धारित अधिकतम राशि की सीमा में वृद्धि नहीं होगी। यह गणना अधिकतम 3000 वर्ग फीट भूमि के लिए की गयी है। यदि किसी नगर निकाय को 3000 वर्ग फीट से कम भूमि उपलब्ध होती है तो राज्य योजना अंतर्गत दी जाने वाली राशि में से समानुपातिक राशि की कटौती कर ली जायेगी। परन्तु किसी भी स्थिति में राज्य सरकार का अंशदान 50 प्रतिशत के अधिकतम सीमा में होगी।

9. **नगर निकायों द्वारा EOI के माध्यम से प्राप्त रैयती भूमि के स्वामी से एकरारनामा हस्ताक्षरित होने के उपरांत विभाग को सूचित करने एवं विभाग से राशि की अधियाचना करने पर राज्य सरकार का अंशदान विमुक्त किया जायेगा।**

10. राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य योजनान्तर्गत नागरिक सुविधा मद में नगर निगमों के लिए विपत्र कोड 48–2217011910109 एवं 48–2217011910116 में उपबंधित राशि, नगर परिषदों के लिए विपत्र

कोड 48–2217031920105 में उपबंधित राशि तथा नगर पंचायतों के लिए विपत्र कोड 48–2217031930104 में उपबंधित राशि में से राज्य योजनान्तर्गत दी जाने वाली कुल 14.70 करोड़ (चौदह करोड़ सत्तर लाख) का व्यय किया जायेगा। इसके लिए अलग से CFMS के माध्यम से आवंटन निर्गत किया जायेगा।

11. उक्त प्रस्ताव पर भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक–शुन्य दिनांक–28.03.2019 द्वारा सहमति प्रदान की गई है जो निर्वाचन विभाग, बिहार के पत्रांक–2265 दिनांक–29.03.2019 द्वारा संसूचित है।
12. वित्त विभाग के परिपत्र सं0–7355 बि (2) दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
13. राशि का व्यय वित्त विभागीय पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 एवं पत्रांक–256 दिनांक–26.02.2019 के आलोक में किया जायेगा।
14. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्टरों को देखने एवं जांच पड़ताल करने का अधिकार होगा।
15. आदेश प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन संचिका के पृष्ठ–**14/टि0** पर एवं माननीय वित्त मंत्री का अनुमोदन **पृष्ठ–20/टि0** पर प्राप्त है।
16. आदेश पर विभागीय वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृष्ट................../टि0 पर दिनांक–.......................को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
06.04.19
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–03/SBM–01–07/2019 04– /न0वि0एवंआ0वि0/ पटना, दिनांक–6/04/19
प्रतिलिपि :–सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

06.04.19
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–03/SBM–01–07/2019 04– /न0वि0एवंआ0वि0/ पटना, दिनांक–6/04/19
प्रतिलिपिः–सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद एवं सभी नगर पंचायत/वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, बुडको/विशेष सचिव सह निदेशक/उप सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2(बजट), नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/निदेशक, NMCG, भारत सरकार/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

06.04.19
सरकार के विशेष सचिव।